पुस्तकालय

1

3038
30/12/09

सत्यमेव जयते

असंशोधित

21 DEC 2009

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग I—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

प्रतिवेदन शाखा
प्र०स०प्रे०सं० 1566 तिथि 25-12-09

तारांकित प्रश्न संख्या-९७

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव (मंत्री): १-अंशतः स्वीकारात्मक है। दिनांक १६-१२-०८ को गृहरक्षकों से वार्त्ता हुई थी, कुछ बिन्दुओं पर समीक्षा कर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।

२-कर्त्तव्य भत्ता वृद्धि,वर्दी के बदले नगद राशि का भुगतान,पूर्व से चले आ रहे बकाये भत्ते का भुगतान, कर्त्तव्य पर मृत्यु होने की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान में वृद्धि की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

३-उपर्युक्त खंड-२ में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है, फलस्वरूप गृहरक्षकों को निराश होने का प्रश्न नहीं उठता।

४-उपर्युक्त खंड-२ के उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

श्री लाल बाबू रायः महोदय,माननीय मंत्री जी से खुद स्वीकार किया कि १६ दिसम्बर, २००८ को समझौता वार्त्ता हुई थी। महोदय,गृह रक्षक जो हैं वो सरकार के हर कार्य में सहयोग करते हैं,हर जगह सरकार राज्य के अन्दर उनसे डियूटी लेती है और समय से कभी उनका कर्त्तव्य भत्ता, वास्तिवक रूप में जो तय है वो भी उनको नहीं मिलता है और उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए जो सरकार के द्वारा प्रावधानित है, वो भी नहीं प्राप्त होता है और विभागीय पदाधिकारी द्वारा बार-बार उन्हें कष्ट दिया जाता है, कई बार महोदय ये लोग आन्दोलन कर चुके हैं और सरकार से वार्त्ता भी हुई है,खुद मेरी उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ- साथ गृह सचिव के वार्त्ता हुई थी फिर भी माननीय महोदय ने जो कहा कि कोई निराश होने का प्रश्न नहीं उठता इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि प्रश्नागत जितने भी बिन्दु हैं, उनको कबतक माननीय मंत्री जी के द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव (मंत्री): महोदय,माननीय सदस्यों ने जिन बातों का जिक्र किया,इसके लिए स्वाभाविक रूप से उन्हें धन्यवाद देता हूँ। आज समीक्षा के क्रम में उसको हमने कहा कि जल्दी वो प्रक्रिया पूरी कर ली जाय और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही आपस में बैठकर प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी जिससे समुचित फलाफल निकल आयेगा।

तारांकित प्रश्न संख्या- ९८

(माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-९९

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव (मंत्री) यह श्रम विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया है।

तारांकित प्रश्न संख्या- १००

(माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या- १०१

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव (मंत्री): १-उत्तर स्वीकारात्मक है।

२-वस्तुस्थिति यह है कि मंडल कारा, छपरा को शहर के मध्य में अवस्थित रहने से शहर के विकास एवं सौन्दर्यीकरण में किसी तरह की कठिनाई उत्पन्न होने के संबंध में कोई सूचना नहीं है।

३-मंडल कारा,छपरा को शहर से बाहर स्थानांतरित करने का तत्काल कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है।

श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल: अध्यक्ष महोदय,मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना और पूछना चाहता हूँ कि सरकार शहरों के बीच में जो मंडल कारा या कारा अवस्थित है, उसको बाहर कर के और सुरक्षित स्थान पर लाने की व्यवस्था कर रही है, बहुत ऐसा हुआ भी है और छपरा शहर के मध्य में यह कारा अवस्थित है,कई बार वहां से अपराधी भागने में सफल हो सके हैं और इससे प्रशासन को कठिनाई होती है। चूंकि वह शहर के मध्य में है, अपराधी भागे और फिर शहर में घूस गये । क्या सरकार इस विशेष परिस्थिति को देखते हुए छपरा मंडल कारा को छपरा से बाहर लाने का काम करेगी?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव (मंत्री): महोदय,कारा चाहे शहर के भीतर हो या बाहर,कैदियों के भागने का जो मुद्दा है, वह सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, उसका कोई मतलब भौगोलिक स्थिति से नहीं है। मैंने उत्तर दिया कि यह अंग्रेजों के जमाने से बना हुआ है और अभी फिलहाल सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है कि उसको कहीं अन्यत्र स्थानांतरित किया जाय।